

राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक 10(30)त.शि/2016

जयपुर, दिनांक 3-11-2016

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अभिशंषा पर राज्यपाल महोदय निम्न अभ्यर्थियों को जिनकी जन्मतिथि उनके नाम के सामने अंकित हैं, कार्यभार संभालने की तिथि से प्रवक्ता, टेक्सटाइल डिजाइन के पद पर राजस्थान तकनीकी शिक्षा सेवा नियम 2010 (अभियांत्रिकी) के अंतर्गत वेतन श्रंखला 15600-39100 में न्यूनतम ग्रेड पे 5400/-रु. में नियत वेतन 16800/- में अस्थायी रूप से 2 वर्ष के प्रोबेशन पर Subject to police verification नियुक्त कर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है-

| S.no | Name & Address of Candidate | Category & Merit no | Date of Birth | पदस्थापन स्थान |
|----------------------------|--|---------------------|---------------|---|
| प्रवक्ता, टेक्सटाइल डिजाइन | | | | |
| 1 | श्रीमती रेखा चौहान पुत्री श्री लक्ष्मण सिंह सांखला, ए-30 अरविन्द नगर, गोल्फ लिंक रोड, केन्द्रीय विधालय, न० -1 के पास एयर फोर्स, जोधपुर | GE, WE M-01 | 20.7.1974 | राजकीय पॉलिटेक्निक महाविधालय, पाली |
| 2 | श्री अरुण कुमार बाकोलिया पुत्र श्री रोशन लाल बाकोलिया, मकान न०390, बाकोलिया कोलानी, मसुदा रोड, ब्यावर अजमेर 305901 | SC M-02 | 28.9.1988 | राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविधालय, बीकानेर |
| 3 | श्री पारसमल पुत्र श्री काना राम, 51, गायत्री नगर समेरपुर रोड, पाली, राज 306401 | GE, LD M-05 | 7.12.1976 | राजकीय पॉलिटेक्निक महाविधालय, पाली |

- उक्त अभ्यर्थी को 2 वर्ष तक परिवीक्षाकाल के लिये मासिक स्थिर परिलाभ रूपये अभ्यर्थियों को 16800/- पर नियुक्ति प्रदान की जाती है।
- परिवीक्षाकाल में इन्हे कोई वार्षिक वेतन वृद्धि एवं अन्य भत्ते देय नहीं होंगे, अर्थात् परिवीक्षाकाल को वेतन वृद्धि के लिये नहीं गिना जायेगा।
- परिवीक्षाकाल में स्थिर परिलाभों में से कोई कटौतियां (यथा जी.पी.एफ एवं स्टेट इंश्योरेंस) नहीं की जायेगी और इन्हे प्रतिनियुक्ति भत्ता एवं कार्यग्रहण करने पर यात्रा भत्ता आदि नहीं दिया जायेगा।
- 2 वर्ष का परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर इन्हें प्रवक्ता पद की वेतन श्रंखला 15600-39100 ग्रेड पे 5400/- देय होगी तथा परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर इन्हे वेतन श्रंखला में न्यूनतम वेतन दिया जायेगा।

5. वित्त (नियम) विभाग के आदेश क्रमांक एफ 13(1) एफ डी/रूल्स/2003 दिनांक 29.1.2004 के अनुसार इनकी नियुक्ति पर पेंशन नियम के स्थान पर अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
6. उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति वित्त नियम विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 1(2)एफ डी/रूल्स/2006 दिनांक 13.3.06, एफ 12(6) एफ डी/रूल्स/05 दिनांक 13.3.06, एफ 13(1)एफ डी/रूल्स/06 दिनांक 13.3.06, के द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अधीन होगी।
7. यह नियुक्ति अधीक्षक, चिकित्सालय अनुलग्नक मेडिकल कॉलेज/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 15(1)डीओपी/ए-11/74 दिनांक 1.1.75 द्वारा प्रसारित निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही मान्य होगी एवं तत्पश्चात ही कार्यग्रहण कर सकेंगे।
8. उपर्युक्त अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन नहीं किया गया है।
9. पदस्थापन आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह की अवधि में पदस्थापन आदेश पर अनिवार्य रूप से कार्यग्रहण करना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यग्रहण नहीं करने पर इनकी नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझे जायेंगे।

आज्ञा से

(एम.एम. सेतिया)
संयुक्त सचिव त.शि.

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, तकनीकी शिक्षा।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा।
3. निजी सचिव, सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के पत्र एफ 7(56)भर्ती/गोपनीय/ 2013-14/ 276 दिनांक 30.9.2016 के क्रम में।
4. निदेशक प्राविधिक शिक्षा, राजस्थान जोधपुर।
5. संबंधित प्रधानाचार्य, राजकीय पोलि. महाविद्यालय
6. संबंधित संस्था प्रधान को भिजवाकर लेख है कि कृपया उपरोक्त अभ्यर्थी को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर कार्यभार ग्रहण करने दिया जायेगा। (रजिस्टर्ड पत्र से)
7. निजी/रक्षित पत्रावली

अब्दुल रजाक
(अब्दुल रजाक)
सहायक शासन सचिव त.शि.